अखिलभारतीयआयुर्विज्ञानसंस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in
Email- store@aiimsraipur.edu.in

आरोग्यम् सुख सम्पदा

No. AIIMS- RPR/Store/Old News Paper/2016/ Date: 17.10.2016

नीलामी सूचना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के द्वारा पुराने अखबारों (रद्दी समाचार पत्र) व पुरानी पत्रिकाएँ लगभग 850 किलो एवं फटे पुराने गत्ते के डिब्बे (कार्टून डिब्बे) लगभग 300 किलो की नीलामी की जायेगी। नीलामी दिनांक : 24/10/2016 को दोपहर 03:30 बजे किया जाना प्रस्तावित है। अतः इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी में भाग लेने हेतु उपर्युक्त दिनांक व समय पर भंडार अधिकारी के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराये।

नियम एवं शर्तें

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में पुराने अखबारों, पुरानी पत्रिकाएँ एवं फटे पुराने गत्ते के डिब्बे (कार्टून डिब्बे) का विक्रय '' जहाँ है, जैसा है '' के आधार पर किया जायगा।
2. इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक 24/10/2016 को दोपहर 03:30 बजे नीलामी प्रकिया में शामिल होने के लिए उपस्थिति हो सकते है।
3. खरीददार का निर्धारण अधिकतम स्वीकार्य मूल्य के आधार पर किया जायगा।
4. व्यक्ति/संस्था नीलामी के पूर्व सामग्री की भौतिक जांच की अनुमति ले सकते हैं।
5. पुराने अखबारों, पुरानी पत्रिकाएँ एवं फटे पुराने गत्ते के डिब्बे का माप तौल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की प्रतिनिधि के समक्ष की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो संस्थान की माप तौल मशीन को उपयोग में लिया जा सकता है।
6. अधिकतम स्वीकार्य मूल्य के बोलीदाता (Bidder) को कुल लॉट मूल्य के 25 प्रतिशत की राशि को बयाना राशि (EMD) के रुप में तुरन्त जमा करना होगा।
7. बिके हुए सामग्री को उठाने के पहले शेष भुगतान नगद/डी. डी. के रुप में 7 दिवस के अन्दर संस्थान के लेखा कक्ष में जमा करना होगा। डी. डी. AIIMS, Raipur के नाम पर निर्मित किया जायेगा।
8. बिके हुए सामग्री को 7 दिवस के भीतर उठाना आवश्यक है। तत्पश्चात अगले 14 दिनो तक 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन (शेष सामग्री के मूल्य का) के दर से जुर्माना राशि के साथ सामाग्री उठाने की अनुमति होगी। इसके पश्चात बोलीदाता की बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
9. समस्त बिके हुए सामग्री के उठावन इत्यादि का बन्दोबस्त स्वयं खरीददार की होगी। एम्स, रायपुर द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा।
10. आयकर, विक्रय कर एवं अन्य संबंधित कर नियमानुसार वसूल की जायेगी।
11. एम्स, रायपुर/अधिकृत अधिकारी के द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा। इससे संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल रायपुर न्यायालय में स्वीकार्य होगी।
12. इस सूचना में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है जिसे कम या ज्यादा किया जा सकता है।
13. एम्स, रायपुर द्वारा नियम एवं शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।
14. सामग्री का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	समाग्री का विवरण	मात्रा	स्थान
01	पुराने अखबार (रद्दी समाचार पत्र) एवं पुरानी पत्रिकाएँ	850 किलो ग्राम (लगभग)	प्रशासनिक भवन, एम्स, रायपुर
02	फटे पुराने गत्ते के डिब्बे (कार्टून डिब्बे)	300 किलो ग्राम (लगभग)	

(सुशील सोनबेर)
भंडार अधिकारी,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर